न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–157/2023/75 एल.आर.एक्ट (2023/157)

1. सुवालाल पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांवरमूल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी ग्राग चांवरमूल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. पार्थ अग्रवाल पुत्र श्री अनिल अग्रवाल जाति महाजन निवासी एच–31, टैगोर पथ, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.06.2011 राजस्व वाद 2011/1509

उपस्थितः–

1. श्री बी0एल0शर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री रामजीलाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री पन्नालाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः–31.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा रूपान्तरण/2011/1509 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी के पिता देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी चांदरमुल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान द्वारा जरिए मुख्त्यार आवेदन इस आशय का पेश किया कि खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि खसरा नम्बर 567/49 रकबा 0.16 है0 खसरा नम्बर 566/46 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम चांदरमुल तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 567/49 रकबा 0.16 है0 में से 1600 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 566/46 रकबा 0.28 है0 में से 900 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ आदेश प्रदान किया जावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा कृषि को अकृर्षि प्रयोजनार्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रूपांतकरण का जांच पत्र पटवार मण्डल गिदानी से प्राप्त कर राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए सपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए अर्थात आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया। अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा रूपान्तरण/2011/1509 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 567/49 व खसरा नम्बर 566/46 ग्राम चांदरमुल तहसील मौजमाबाद प्रार्थी पैतृक अविभाजित सम्पत्ति है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है, तथा बाई बर्थ हक व हिस्सा कानूनन बनता है, तथा मौके पर पारिवारिक सेटलमेंट के अनुरूप हक हिस्सा प्राप्त कर काबिज चला आ रहा है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी सुना नहीं गया है, चूंकि मौके पर प्रार्थी कृषि उपज प्राप्त कर काबिज चला आ रहा है, प्रार्थी के बाला बाला अवैधानिक रूप से विहित कानूनी प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अप्रार्थी मौके से प्रार्थी उक्त इंद्राज के आधार पर बेदखल करना चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई हक हकुक व अधिकार शेष नहीं है। आदेश दिनांक 21.6.2011 से अपीलांट पीड़ित व व्यथित व्यक्ति है उक्त आदेश से प्रार्थी वैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिए न्यायहित प्रार्थी को अपील प्रस्तुत की ईजाजत प्रदान किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाष अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि खसरा नम्बर 567/49 व खसरा नम्बर 566/46 ग्राम चांदरमुल तहसील मौजमाबाद प्रार्थी पैतृक अविभाजित सम्पत्ति है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है तथा बाई बर्थ हक व हिस्सा कानुनन बनता है, तथा मौके पर पारिवारिक सेटलमेंट के अनुरूप हक हिस्सा प्राप्त कर काबिज चला आ रहा है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी सुना नहीं गया है, चूंकि मौके पर प्रार्थी कृषि उपज प्राप्त कर काबिज चला आ रहा है, प्रार्थी के बाला बाला अवैधानिक रूप से विहित कानूनी प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अप्रार्थी मौके से प्रार्थी उक्त इंद्राज के आधार पर बेदखल करना चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई हक हकुक व अधिकार शेष नहीं है। उक्त आदेश की प्रथम बार जानकारी प्रार्थी को दिनांक 15.05.2023 को मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मातहत दलाल अभिकृता एवं अन्य अनजान व्यक्ति आकर मौके पर आकर अपीलांट को बेदखल करने एवं लैण्ड युज चेंज करने की धमकी देने पर राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.2011 की प्रथम बार जानकारी हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18.05.2023 को प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2011 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 2007 के नियम 09 मूलभूत अधिरोपित शर्तो के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस एवं मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है नेशनल हाईवे नम्बर 8 से करीब 1 किमी दुर अवस्थित मूल खसरा नम्बर 46 व 49 ग्राम चांदरमुल में दिनांक 21.6.2011 सुचारू रूप से आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने मूलभूल प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। पटवार मण्डल गिदानी द्वारा जांच पत्र कॉलम संख्या 11 में स्पष्ट अंकित किया कि नेशनल हाईवे नम्बर 8 से ग्राम सावरदा की भूमि खसरा नम्बर 3639 सरकारी भूमि है, जिसमें तत्समय सन् 2011 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं था एवं खसरा नम्बर 3651, 3689 में भी रास्ता नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी हाल खसरा नम्बर 567/49 व 566/46 ग्राम चांदरमुल पर पंहुच हेतु कोई रास्ता उपलबध नहीं है, तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। जांच प्रपत्र के कॉलम संख्या 14 में अप्रोच का रास्ता बाबत विस्तृत रिपोर्ट किया जाना एवं आवश्यक दस्तावेजात प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, हस्तगत प्रकरण मे आवेदित भूमि पर अप्रोच का रास्ता भी नहीं है, नहीं कोई पहुंच का रास्ता है, नहीं ऐसा कोई रिकार्ड राजस्व रिकार्ड या जमाबंदी में अंकन किया गया है नहीं रास्ता बाबत कोई दस्तावेजात प्रकरण के संलग्न किए गए है। तत्पश्चात भी विधि विरूद्ध आदेश पारित किए गए है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त भूमि के आसपास कोई आबादी भूमि नहीं है, तथा औद्योगिक ईकाईयां स्थापित है, जहां पर कानुनन आबादी बसावट नहीं कि जा सकती इसलिए उक्त संपरिवर्तन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों/परिपत्रों में अधिरोपित शर्तो के अधीन अभिशंषा किए जाने योग्य नहीं थी तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने संपरिवर्तन आदेश दिनांक 21.6.2011 पारित कर कानूनी भूल की है। उक्त भूमि राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 के नियम 9 के अधीन आदेश पारित किए गए है उक्त नियमों में अधिरोपित शर्तो के तहत आवेदित भूमि में आवेदक द्वारा आदेश जारी होने की तारीख से 2 साल की कलावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जाने का प्रावधान कानून है, उक्त भूमि पर कभी भी अकृषि अर्थात आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग की नहीं रही है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्पादित अपीलांट द्वारा किए जा रहे है। उक्त प्रथम पर्चा सेटलमेंट सम्वत 2011 से 2029 में अपीलांट के दादा भागीरथ पुत्र रूधा के हक में सह-हिस्सेदारान के साथ जारी किया गया है अपीलांट के पिता भागीरथ पुत्र रुघा के स्वर्गवास के पश्चात नामंतकरण संख्या 268 द्वारा विरासत नामांतकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में उक्त भूमि खातेदारी दर्ज हुई है, जो रिकार्ड से प्रमाणित है। जिसमें अपीलांट का हक बाई बर्थ बनता है जिस बाबत अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

खातेदारी बाबत आवश्यक चाराजोही सम्पादित की जा रही है। प्रकरण में वांछित भूमि पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है, तथा निरंतर 20 वर्षो से मौखिक पारिवारिक बंटवारा कर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की तायद किए बिना तथ्यों की जांच किए मनमाना आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन खातेदार देवीलाल के मुख्त्यार की हैसियत से प्रस्तुत किया है, जो कि अवैधानिक कुटरचित दस्तावेजात था, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 169/23 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120 बी आईपीसी के तहत पुलिस थाना मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान में दर्ज कि जाकर दौराने अनुसंधान जेरकार है। इसलिए भी कुटरचित दस्तावेजात के आधार पर पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त आवेदक द्वारा नियम 4 के विपरीत कार्य कर उक्त भूमि को सदेव एवं वर्तमान में भी कृषि कार्य सम्पादित किया जा रहा है, इसलिए विहित शर्तो की अपालना करने से भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकःरूपान्तरण/2011/1509–1514 दिनांक 21.06.2011 जो कि आवासीय प्रयोजनार्थ खसरा नम्बर 567/49 रकबा 0.16 है0 में से 1600 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 566/46 रकबा 0.28 है0 में से 900 वर्गमीटर कुल 2500 वर्गमीटर भूमि ग्राम चान्दरमुल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया निरस्त फरमाया जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या –3 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 567/49 व खसरा नम्बर 566/46 वाकै ग्राम चांदरमुल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित होना सही है और स्वीकार है शेष ईबारत गलत है और स्वीकार नहीं है शेष अतिरिक्त कथन में दर्ज है। उक्त भूमि का विक्रय अनुबंध दिनांक 30.12.2009 को देवीलाल पुत्र भागीरथ ने पार्थ अग्रवाल जरिए संरक्षक अनील अग्रवाल के पक्ष में सम्पूर्ण रूपया लेकन निष्पादित कर दिया। दिनांक 30.12.2009 को देवीलाल पुत्र भागीरथ गुर्जर ने अनिल अग्रवाल के पक्ष में मुख्त्यारआम नियुक्त कर दिया। दिनांक 30.12.2009 के मुख्त्यारनामें से दिनांक 21.6.2011 को सम्पूर्ण भूमि को संपरिवर्तन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू से करवा लिया। उक्त भूमि को संपरिवर्तन करवाने के बाद में अनिल अग्रवाल ने मुख्त्यारनामें के आधार पर विभिन्न विक्रय–पत्र इस भूमि से करवा दिए। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 देवी लाल पुत्र भागीरथ जाति के मुख्त्यारआम अनिल अग्रवाल पुत्र श्याम बिहारी अग्रवास निवासी जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 46 व 49 में से कुल 2500 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने इस की मौका जॉच, डी.एल.सी.दर व प्रीमीयम दर हेतु तहसीलदार, मौजमाबाद को आदेशित किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा अपनी मौका जॉच रिपोर्ट में यह अंकित किया कि प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है तथा नेशनल हाईवे –8 से ग्राम सावरदा की भूमि खसरा नम्बर 3639 सरकारी भूमि में से होकर मुख्त्यार आम अनिल अग्रवाल की समर्पित भूमि खसरा नम्बर 3691 व 3689 में होकर स्वयं की भूमि पर पहुँच का रास्ता है तथा ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. एवं नियमानुसार डी.एल.सी.दर का भी अंकन किया गया तत्पश्चात उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु प्रीमीयम की राशि 25000/– रूपये जरिये चालान संख्या 238 दिनांक 15.06.2011 को बैंक में जमा करवायी गयी, जिसकी पुष्टी तहसीलदार, मौजमाबाद के पत्र क्रमांकःटीआरए/11/122 दिनांक 14.06.2011 से की गई है तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि रूपान्तरण नियमों पूर्णतया विधिवत रूप से जांच कर उक्त भूमि को नियमानुसार अपने आदेश दिनांक 21.06.2011 खसरा नम्बर 567/49 रकबा 0.16 है0 में से 1600 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 566/46 रकबा 0.28 है0 में से 900 वर्गमीटर कुल 2500 वर्गमीटर भूमि ग्राम चान्दरमुल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 566/46 में दर्ज हिस्सा 19/28 पार्थ अग्रवाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका वह रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का विक्रय अनुबंध दिनांक 30.12.2009 देवी लाल पुत्र भागीरथ ने पार्थ अग्रवाल जरिये संरक्षक अनिल अग्रवाल के पक्ष मे निष्पादित कर दिया। उक्त भूमि को संपरिवर्तन करवाने के बाद में अनिल अग्रवाल ने मुख्त्यारनामें के आधार पर विभिन्न विक्रय पत्र इस भूमि से करवा दिये है। जहॉ तक अवैधानिक कुटरचित दस्तावेजात बाबत् प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 169/23 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120 बी आईपीसी के तहत पुलिस थाना मौजमाबाद को की गई, जो कि राजस्व न्यायालय के निर्णय किसी प्रकार हस्तक्षेप हेतु उज्र नहीं किये जा सकते है। उक्त संपरितर्वन आदेश को न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया जाता है तो मुख्त्यारनामें के आधार पर विभिन्न विक्रय पत्रों से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मुख्त्यारनामा दिनांक 30.12.2009 को निष्पादित किया गया, जिसमें इस शर्तो से पाबंद किया गया कि वे मुख्त्यारनामें में उल्लेखित सभी शर्तो का पालना करेगें यथा् प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान, उत्तराधिकारी, दायभागी, अभिकर्ता, स्थानापन्न, प्रशासक ऐसाईनिज, नोमिनीज इत्यादि सभी पाबंद व

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सम्मिलित रहेगें जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल आशय प्रकट न हों तथा दिनांक इन्ही शर्तो के साथ दिनांक 30.12.2009 को विक्रय अनुबन्ध पत्र भी पार्थ अग्रवाल जरिये संरक्षक अनिल अग्रवाल के साथ कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा के 1/5 हिस्सा का बेंचान किया गया तथा उसी के आधार पर उक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संपरिवर्तन करवाया गया है जहॉ मुख्त्यारनामें को निरस्त करवाने का प्रश्न है, दिनांक 06.02.2016 को मुख्यारनामा निरस्त करवाया गया है जबकि मुख्त्यारनामें को निरस्त करवाने से पूर्व ही सम्पंरिवर्तन आदेश दिनांक 21.06.2011 को पारित किया गया जिसका अंकन भी राजस्व अभिलेख में हो चुका है, इसलिए मुख्त्यारनामा निरस्त होने के पूर्व किये गये आदेश किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

10. विद्वान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अनिल अग्रवाल द्वारा देवीलाल की सहमति के बिना इच्छा के विरूद्ध बिना किसी अधिकार के हस्तगत प्रकरण में पैरवी हेतु श्री पन्ना लाल चौधरी एड़वोकेट को नियुक्त किया गया जबकि हस्तगत प्रकरण में देवीलाल द्वारा कभी भी पैरवी हेतु श्री पन्ना लाल चौधरी एवं अनिल अग्रवाल को अधिकृत नहीं किया गया, बल्की देवी लाल द्वारा अधिवक्त श्री रामजीलाल शर्मा को नियुक्त किया है तथा नियमन आदेश में विहित शर्ता की कभी भी मेरे द्वारा पालना नहीं किये जाने से सपंरिवर्तन अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमा दिया जावें एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

11. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर अंकित किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए कथन संतोषप्रद व उचित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।**

13. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट के पिता देवी लाल द्वारा दिनांक 30.12.2009 को मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया,जिसमें साक्षी के तौर पर शैतान पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर के हस्ताक्षर एवं मुख्त्यारनामा में अंकित शर्तो से पाबंद थें तथा मुख्त्यारनामा के अनुसार ही देवीलाल द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष संपरिवर्तन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 21.06.2011 को आवेदन पत्र नियमानुसार

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

स्वीकार किया गया था। उक्त संपरिवर्तन आदेश की जानकारी देवीलाल एवं उसके वारिसान को थी फिर भी यह अपील देवीलाल के वारिस सुवालाल के द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत गयी है, मुख्त्यारनामा दिनांक 30.12.2009 को निष्पादित किया गया, जिसमें इस शर्तो से पाबंद किया गया कि वे मुख्त्यारनामें में उल्लेखित सभी शर्तो का पालना करेगें यथा प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान, उत्तराधिकारी, दायभागी, अभिकर्ता, स्थानापन्न, प्रशासक ऐसाईनिज, नोमिनीज इत्यादि सभी पाबंद व सम्मिलित रहेगें जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल आशय प्रकट न हों तथा दिनांक इन्ही शर्तो के साथ दिनांक 30.12.2009 को विक्रय अनुबन्ध पत्र भी पार्थ अग्रवाल जरिये संरक्षक अनिल अग्रवाल के साथ कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा के 1/5 हिस्सा का बेंचान किया गया तथा उसी के आधार पर उक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संपरिवर्तन करवाया गया है जो कि सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर उक्त सम्परितर्वन करवाया गया है जहॉ तक मुख्त्यारनामें को निरस्त करवाने का प्रश्न है, दिनांक 06.02.2016 को मुख्यारनामा निरस्त करवाया गया है जबकि मुख्त्यारनामें को निरस्त करवाने से पूर्व ही सम्पंरिवर्तन आदेश दिनांक 21.06.2011 को पारित किया जा चुका था जिसका अंकन भी राजस्व अभिलेख में हो चुका है, इसलिए मुख्त्यारनामा निरस्त होने के पूर्व किये गये आदेश किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। प्रार्थी/अपीलांट को उक्त संपरिवर्तन आदेश की जानकारी शुरू से ही रही है। उक्त संपरिवर्तन आदेश का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में भी हो चुका है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी दिनांक 15.05.2023 को होना बताया तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा एवं मातहत दलाल अभिकृता एवं अन्य अन्जान व्यक्ति आकर मौके पर अपीलांट को बेदखल करने एवं लैण्ड युज चेन्ज करने की धमकी देने पर राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2011 की प्रथम बार जानकारी हुई। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त किया जाना बताया है, जबकि पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज विधिक नोटिस दिनांक 27.05.2023 में यह अंकन किया गया है कि अनिल अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित मुख्त्यारनामा दिनांक 30.12.2009 को दिनांक 06.02.2016 को निरस्त करवाया जा चुका है तथा जिसकी विधिक सूचना जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 06.02.2016 को ही दी जा चुकी थी। उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट को दिनांक 06.02.2016 से ही संपरिवर्तन आदेश की सम्पूर्ण जानकारी थी, इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 21.06.2011 से 18.05.2023 तक समय कन्डोन किये जाने का निवेदन किया किन्तु अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत मियाद माफी बाबत् पेश नहीं किया है, इसलिए दिनांक 21.06.2011 से 18.05.2023 तक की अवधि को बिना दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाता है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

14. अतः प्रार्थी / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज होने से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा रूपान्तरण / 2011 / 1509 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2011 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner